

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 23 जनवरी, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में मथुरा स्थित गोकुल बैराज के वार्षिक रख-रखाव/अनुरक्षण हेतु तृतीय किश्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, मथुरा के पत्र संख्या-28/सिनिखम/ गो0बै0/2023-24/धन की मांग, दिनांक 06.01.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में मथुरा स्थित गोकुल बैराज के वार्षिक रख-रखाव/अनुरक्षण हेतु प्रावधानित धनराशि रू० 110.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-11/2023/2397/नौ-5-2023/004-228Budget-2011, दिनांक 06-06-2023 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू० 27.50 लाख, शासनादेश संख्या- 111/2023/4427/नौ-5-2023/002-228Budget-2011, दिनांक 12-09-2023 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू० 27.50 लाख एवं शासनादेश संख्या-196/2023/6155/नौ-5-2023/003-228Budget-2011, दिनांक 29-11-2023 द्वारा अवमुक्त तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू० 27.50 लाख का उपभोग हो जाने के उपरान्त **चतुर्थ/अंतिम किश्त** के रूप में धनराशि रू० **27.50 लाख (रूपये सत्ताइस लाख पचास हजार मात्र)** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र०	मद
1	गाइड बंधो/एफलक्स/मार्जिग्नल बंधों के अनुरक्षण हेतु मिट्टी, पिचिंग, इंटरलाकिंग, लान्चिंग एप्रेन एवं अन्य कार्य।
2	गोकुल बैराज के कन्ट्रोल रूम, पुल का रख-रखाव, बैराज रेगुलेशन स्टाफ, सेन्ट्रल स्टोर हेतु गार्ड, विद्युत व्यवस्था एवं अन्य कार्य।
3	गोकुल बैराज के विविध कार्य (जनरेटर सर्विस, वाहन, तेल, टी;एण्ड पी एवं कार्यालय की मरम्मत सीमेंट कंक्रीट एप्रोच रोड एवं अन्य आपातकालीन कार्य)
4	गोकुल बैराज के यांत्रिक अनुरक्षण कार्य।
5	गोकुल बैराज के स्ट्रक्चर की पेन्टिंग आदि कार्य।
6	गोकुल बैराज पुल के एक्सपेशन ज्वाइंट लगाने एवं मरम्मत व अन्य कार्य।
7	अधिष्ठान व्यय।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, नगरीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से करते हुए आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, मथुरा को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता/पी.एल.ए. में नहीं रखा जायेगा।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि उपर्युक्त कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में स्वीकृत की जा रही धनराशि अन्य कार्यों पर व्यय नहीं की जायेगी।

(4) व्यय किये गये मदों का विस्तृत विवरण तथा कराये गये कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक निदेशक, नगरीय निकाय/नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, नगरीय निकाय/शासन को दिनांक 31.03.2024 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

(6) वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

(7) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) 'सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 27,50,000 (रुपये सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215011010300 गोकुल बैराज, मथुरा मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या- E-9-456-X-2023-24-दिनांक: 19-01-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
23.01.2024

(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-263/2023/233(1)/नौ-5-2024/003-228Budget-2011, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- मण्डलायुक्त, आगरा/जिलाधिकारी, मथुरा।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा।
- 8- वरिष्ठ अधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, आगरा।
- 9- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई विभाग, उ0प्र0 मेरठ/अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य, आगरा/ अधिशासी अभियन्ता), सिंचाई निर्माण खण्ड, मथुरा।
- 10- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
- 12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

भाजा से
23.01.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।